कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम व सीएसपी ने गश्त कर लोगों को दी समझाईश

» राशन, सब्जी व फल विक्रेताओं को दुकान के बाहर अनिवार्यतः मूल्य सूची लगाने के निर्देश, उल्लंघन करने पर बंद करवा दी जाएगी संबंधित दुकान » 31 मार्च तक घरों में ही बने रहे लोग

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम व बचाव के संबंध में कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण जिले को आगामी 31 मार्च 2020 तक लॉक डाऊन करने हेतु आदेशित किया है।

इस आदेश के परिपालन में कलेक्टर यशंवत कुमार के निर्देशानुसार एसडीएम रायगढ़ आशीष कुमार देवांगन तथा सीएसपी अविनाश ठाकुर ने आज पूरे शहर का गश्त कर बेवजह घूम रहे लोगों को हालात की गंभीरता से अवगत कराते हुए अनावश्यक न घूमने तथा 31 मार्च तक लॉक डाऊन की अवधि में अपने-अपने घरों में बने रहने की समझाईश दी और कहा गया कि अब से आदेश के उल्लंघन किये जाने पर सीधे दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अति आवश्यक श्रेणी में नहीं रखे कुछ दुकान जैसे मोटर गैरेज, सबमर्सिबल पंप आदि की दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जिसे अधिकारियों ने तत्काल बंद करवाया। इसके साथ ही चेम्बर आफ कामर्स एवं फल तथा सब्जी विक्रेताओं की बैठक ली गयी तथा उन्हें भी समझाईश दी कि राशन, फल, सब्जियों के विक्रय के दौरान उसकी मूल्य सूची दुकानों के बाहर अनिवार्यतः लगाए जाएं। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर दुकान बंद कर सील किया जाएगा।

जिले में धारा 144 लागू है। अतः 05 लोगों से अधिक की भीड़ दुकानों में एकत्रित न हो इसका ध्यान रखने की सलाह दी गई। लोगों के बीच 01 मीटर की दूरी बनी रहे ऐसी व्यवस्था बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने वाले सब्जी तथा फल विक्रेताओं से कहा गया कि वे एक साथ संजय काम्प्लेक्स में दुकान लगाने के स्थान पर पूरे शहर के विभिन्न हिस्सों के चौक-चौराहों में अपनी दुकानें लगाएं। जिससे लोगों की भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा सके।

अन्य राज्य से आने वाले इंटर स्टेट माइग्रेन्ट्स के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के ऊपर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एवं उसके रोकथाम व बचाव हेतु अन्य राज्यों से आने वाले इंटरस्टेट माइग्रेन्टस के संबंध में छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनसामान्य के लिए निर्देश जारी किए गए है।

उल्लेखनीय है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्यों विशेषकर जहां कोरोना के सकारात्मक मामले ज्यादा आ रहे है, वहां से राज्य में ट्रेन या संचार के साधनों से आने वाले व्यक्ति अपनी विस्तृत जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर अवश्य देंगे। जानकारी देने के पश्चात उसे तत्काल 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटीन में जाना होगा। होम क्वारेंटीन के दौरान संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रोटोकाल का अनिवार्यतः पालन करना होगा। उक्त व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेते है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड 19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण की रोकथाम हेतु छ.ग.राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदेश की समस्त वक्फ संस्थाओं से अपील

रायपुर। वर्तमान में हालात को देखते हुए आज राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री सलाम रिजवी ने प्रदेश के तमाम मुफ्ती हजरात के साथ कोविड 19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने के संबंध में तत्काल बैठक ली गई जिसमें शरीअत और हदीस (सही बुखारी शरीफ के पार्ट 1 में सफा नंबर 122 हदीस नंबर 666 एवं सफा नंबर 123 हदीस नंबर 667) के हवाले से यह निर्णय लिया गया है कि मस्जिदों में फर्ज नमाजों में जमात की तादाद कम से कम रखी जाये जिससे कि कोविड 19 के संक्रमण को सख्ती से रोका जा सके। राज्य वक्फ बोर्ड ने तमाम मोमिनों से अपील की है कि जब तक इस खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक आप सब अपने-अपने घरों में रहें, इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करें, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान आदि में भीड़ इकट्ठा न होने दें, बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो तब ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने आस-पास साफ सफाई का इंतेजाम करें, शासन प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन अनिवार्यता के साथ किया जाए। अज़ान लाऊड स्पीकर से न देकर बैरूने मस्जिद दी जाए। मस्जिदों के हौज को खाली करवा दिया जाए ताकि लोग उसमें वुज़ू न कर सकें। बच्चों को मस्जिद में न लाएं और बूढ़े हजरात भी घर ही में नमाजें अदा करें । भीड़ से बचें और दूसरों को भी इससे बचने की सलाह दें। मस्जिदों में जुमा एवं फर्ज नमाजों की जमात मस्जिदों के पदाधिकारी मस्जिद में अदा करें ताकि भीड़ इकट्ठा न हो सके। आम जमाती को अपने-अपने घरों में नमाजों को अदा करने की सलाह दी गई है।

बीपीआरसी अंतर्गत जनपद पंचायतों में रिक्त पदों की चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना (बीपीआरसी) अंतर्गत जिले के जनपद पंचायतों में रिक्त संकाय सदस्य एवं भृत्य पदों के मेरिट सूची से दस्तावेज सत्यापन उपरांत चयन सह प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया गया है। आवेदक उक्त सूची का अवलोकन जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर कर सकते है।

वार्षिक शिविर और अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन स्थगित

रायपुर। नियंत्रक विधिक मापविज्ञान छत्तीसगढ़ द्वारा वार्षिक शिविर एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन का कार्य स्थगित कर दिया गया है। नियंत्रक विधिक मापविज्ञान से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के 'ए' तिमाही (01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक) में आयोजित होने वाले वार्षिक शिविर एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों के उपकरणों का सत्यापन, मुद्रांकन कार्य जिनका संपादन अब तक नहीं हुआ है। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए शेष वार्षिक शिविरों को स्थगित कर दिया गया है। इन शिविरों को आगामी 30 अप्रैल 2020 तक संपादन करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि वर्ष 2019-20 में विभाग को आबंटित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन की घोषणा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले में दिनांक 31.03.2020 तक लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई है तथा जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की आवाजाही सभी क्षेत्रों में पूर्णतः प्रतिबंधित है। कल दिनांक 24.03.2020 से शहर के अंदर व शहर से बाहर जाने वाले मार्गों में नाकेबंदी कर तथा चेकप्वाइंट बनाकर पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जावेगी ऐसे में असुविधा से बचने के लिए बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप कर्मचारी, मीडियाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना पहचान पत्र (आई कार्ड) दिखावें। इस दौरान अनावश्यक घूमते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

कोरोना प्रभावित देशों राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के पहचान हेतु विकासखण्ड कंट्रोल कक्ष का गठन

» चौबीसों घंटे दो पाली में कर्मचारी रहेंगे तैनात

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के निर्देशानुसार कोरोना प्रभावित देशों एवं राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के पहचान हेतु विकासखण्ड स्तरीय कंट्रोल कक्ष का गठन कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोईंग में किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर एवं कर्मचारी चौबीसों घंटे दो पाली में उपस्थित रहेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की जानकारी मिलने पर गठित टीम वहां जाकर संबंधित व्यक्ति को तत्काल इलाज मुहैय्या करायेगी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के लिए बनाए गए कंट्रोल कक्ष के गठित टीम में प्रातः 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक चिकित्सा अधिकारी डॉ.हितेश जायसवाल मो.नं.79879-60764, बीपीएम श्री वैभव डियोडिया मो.नं.99074-47273, बीडीएम श्री योगेश यादव 95844-29542, फार्मा ग्रेड-2 श्री कीर्तिराम पटेल मो.नं.87706-00497, आरएचओ श्री प्रदीप मेहरा मो.नं.99079-28825 एवं एमएलटी कु. पूनम त्रिपाठी मो.नं.79747-30936 उपस्थित रहेंगे। इसी तरह सायं 5.30 बजे से प्रातः 8 बजे तक आरएमए श्री लक्ष्मी नारायण पटेल 81206-09693, एमएलटी श्रीमती कविता कसेरा मो.नं. 99071-29285, स्टाफ नर्स कु.कल्पना केरकेट्टा मो.नं.96918-67740, स्टाफ नर्स कु.मंजू एक्का मो.नं.76971-54638 एवं भृत्य श्री मोहन लाल मो.नं.96302-15734 उपस्थित रहेंगे।

सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा का संचालन 31 मार्च तक स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रकाश में आया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम एवं लोकहित को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक यान परिवहन यान, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित किया गया है।

» स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार, रेपिड रिस्पांस टीम गठित

कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव के लिए सभी का सहयोग जरूरी-सीएमएचओ डॉ.केशरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जिले के सभी जनसामान्य से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव हेतु पूरी सतर्कता और समझदारी से इस स्थिति का सामना करने की हम सभी को जरूरत है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस परिस्थितियों से निपटने के लिये पूरी तैयारी की जा चुकी है। जिसके त्वरित कार्यवाही हेतु रेपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। साथ ही जिले में तैयारी के लिये अंतर्विभागीय बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई है। आज की स्थिति इस बीमारी से निपटने की क्षमता बढ़ गई है तथा अपनी क्षमता विस्तार में स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्यशील है। मेडिकल टीम निरंतर जागरूकता फैलाने के साथ साथ अन्य प्रांतों से पहुंचे लोगों तक पहुंचकर उनकी स्क्रीनिंग कर रही है।

ज्ञात हो कि जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) का एक भी मरीज नहीं है। मेडिकल कालेज अस्पताल में 30 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड तैयार है और इस क्षमता में लगातार बढ़ोतरी भी की जा रही है। साथ ही निजी चिकित्सालय में 6-6 बिस्तर का आइसोलेशन स्थापित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों तथा डॉक्टर्स एवं नर्सेस का सहयोग करें तथा अन्य राज्य व देश से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी न छुपाये, स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर अनिवार्यतः अपनी स्क्रीनिंग कराए। यह आपके, आपके परिवार तथा समाज हित मे अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को एक साथ मिलकर इस बीमारी से निजात पाना है।

कोरोना वायरस से बचाव हेतु बाहर से आ रहे श्रमिकों के आने पर रोक

जशपुरनगर। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए ठेकेदारों, सट्टेदारों एवं एजेंटों को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों (श्रमिकों) को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं लाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर नहीं ले जाने के निर्देश दिए है। इस आदेश का पालन आगामी 30 अप्रैल 2020 तक अनिवार्य रूप से करने कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से

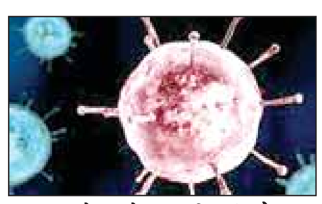

बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। जिसके कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत् 5 अथवा से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशहां में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस के विस्तार से बचाव के लिए अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाएग कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा।

कोरोना वाइरस से बचाने बिजली उपभोक्ताओं के हित में अहम फैसला

» निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक

रायपुर। कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत सभी शहरों में 31 मार्च 2020 तक कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसे दृष्टिगत रखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मिले दिषा निर्देषानुसार छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग ने प्रदेष के बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना वाइरस से बचाने के लिये अहम फैसला किया। इसके मुताबिक प्रदेष के समस्त निम्नदाब बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग को 31 मार्च तक रोकने का निर्णय लिया गया है, तदानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी ने बिजली मीटर रीडिंग कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। उपभोक्ताओं के परिसर की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य स्पॉट बिलिंग अथवा मेनुअली किया जा रहा है जिससे कोरोना वाइरस के संक्रमण की प्रबल संभावना है। इसे रोकने के लिये पॉवर कंपनी का निर्णय तत्काल प्रभाव से प्रदेष में लागू होगा। ऐसे उपभोक्ता जिनकी मीटर रीडिंग नहीं हुई है उन्हें अक्टूबर 2018 से सितम्बर 2019 में खपत की गई बिजली के आधार पर औसत बिल जारी किया जायेगा। इस बिल में राज्य शासन की हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत् 400 यूनिट तक की छूट का लाभ फिलहाल प्रदान नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रभावित उपभोक्ताओं के हित को दृष्टिगत रखते हुये यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी माह में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी होने वाले बिजली बिल में उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत एकमुष्त दो माह का लाभ (400. 400 कुल 800 यूनिट) अर्थात 800 यूनिट तक छूट का लाभ दिया जायेगा। प्रदेश के समस्त विद्युत वितरण केन्द्र एवं जोन के ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके कि वर्तमान माह (फरवरी 20 अथवा मार्च 20) के बिल जारी नहीं हुये हैं उन्हें आगामी माह (मार्च 20 अथवा अप्रेल 20) में एकसाथ दो माह की रीडिंग करते हुये बिल जारी किये जायेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों पर अधिभार की राषि की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही अगले माह मीटर रीडिंग के उपरांत वास्तविक खपत के आधार पर जारी किये जाने वाले बिजली बिल में उपभोक्ता द्वारा देय कम अथवा ज्यादा राषि का समयोजन किया जायेगा।

»"हाफ रेट पर बिजली योजना" के तहत् मिलेगा एकमुष्त दो माह का लाभ

पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद जवान का अंतिम संस्कार » कलेक्टर श्री यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने दी श्रद्धांजलि

पंचतत्व में विलीन हुए वीर शहीद गीतराम राठिया

न्याय साक्षी/रायगढ़। सुकमा के मिनपा में 21 मार्च को नक्सली मुठभेड़ में अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए जिले के वीर सपूत एस.टी.एफ . के प्लाटून कमांडर गीतराम राठिया का आज उनके गृहग्राम सिंघनपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कलेक्टर श्री यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने वीर जवान को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि हम शहीद गीतराम राठिया की वीरता को नमन करते हैं। एक जवान के रूप में कर्तव्यनिर्वहन के दौरान अपने प्राणों के आहुति देकर वह अमर हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वीर जवान गीतराम राठिया ने आने वाली पीढ़ी के सामने मिसाल कायम करते हुए देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

इसके पूर्व वीर शहीद गीतराम राठिया का पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से ससम्मान रायगढ़ के जिंदल एयरस्ट्रीप लाया गया। जिंदल एयरस्ट्रीप में जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवान की शहादत को नमन किया। जहां से पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रायगढ़ स्थित निवास विनोबा नगर लाया गया। जहां लोगों ने बड़ी संख्या में पहुँचकर उनकी बहादुरी को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अंतिम संस्कार के लिए शहीद जवान के पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम सिंघनपुर ले जाया गया। जहां पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमे बड़ी संख्या में बड़े, बच्चे, जवान, महिलाओं सहित सभी ग्रामवासियों ने शहीद के अंतिम दर्शन किये। जिसके उपरांत पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद गीतराम राठिया का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद गीतराम राठिया अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। इस मौके पर आसपास के अंचल से भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

जिले के राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च तक स्थगित

जशपुरनगर। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिले के समस्त राजस्व प्रकरणों की सुनवाई 31 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है उनकी पेशी तारीख आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल या उससे आगे की तिथि निर्धारित की जायेगी।

कोरोना संक्रमण को लेकर दहशत फैलाने, फ़ेक न्यूज जारी करने वालों पर कानूनी कार्यवाही संभव

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के संबंध में राज्य शासन द्वारा संतुलित, तथ्यपरक तथा पुष्ट समाचार जारी करने का आग्रह विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया से किया गया था।

लेकिन कतिपय व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा अवांछित समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित करने की शिकायतें मिल रही हैं। राज्य शासन द्वारा गठित %राज्य स्तरीय फ़ेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष मॉनिटरिंग सेल' ने इन खबरों को गंभीरता से लिया है।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ऐसी खबरें जारी की जा रहीं है, जिससे जनमानस में भ्रम अथवा दहशत का वातावरण बन रहा है और लोग उसकी पुष्टि के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी विभिन्न खबरों को फ़ेक न्यूज बताया गया है।

राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय फ़ेक न्यूज नियंत्रण एवं विशेष मॉनिटरिंग सेल' ने अपील की है कि विभिन्न समाचार माध्यम तथा वेबसाइट आदि ऐसी कोई भी खबर प्रकाशित तथा प्रसारित नहीं करें। विभिन्न माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट खबरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के पर्याप्त प्रावधान हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-